showing flat rent as income in his income tax return; and

(c) if so, the action taken for misuse of power and to ensure punishment of the guilty and corrupt?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Some complaints have been received in this regard and a preliminary enquiry has been conducted. It is a premature stage to take a decision on action to be taken on punishment.

**Carpet Industry in Andhra Pradesh**

2471. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Textile Commissioner is monitoring the health of carpet industry in Andhra Pradesh;

(b) whether it is also a fact that no marketing guidance has been offered to the entrepreneurs;

(c) if so, what are the details of steps proposed to give more attention to this industry;

(d) whether any report on the potential of Carpet industry in Elum in West Godavari district in the State has been received; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) No, Sir. The promotion and development of carpet industry comes under the purview of the Development Commissioner (Handicrafts).

(b) and (c) The Carpet Export Promotion Council is providing assistance for marketing to its member exporters including five exporters from Andhra Pradesh by giving opportunities for participation in buyer-seller meets in India and abroad, and through other promotional activities. Morever, exporters of carpets including from Andhra Pradesh avail various export incentives viz duty draw back, concessional rate of duty on import of raw wool etc.

(d) and (e) To promote potential of carpet industry in the West Godavari district of Andhra Pradesh, the Government of India is running six Departmental Carpet Training Centres for Advanced Training, Massive Training and Washing and Finishing Training.

**परिधान (गारमेन्टस)कोटे संबंधी इलेक्ट्रनिक इस्तांतरण योजना (ई.टी.आर.)**

2472. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिधान निर्यातकों को इलेक्ट्रनिक हस्तातंरण योजना (ई.टी.एस.) के अंतर्गत परिधानों का कोटा परस्पर परिवर्तित कर लेने की अनुमति दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राधा) :** (क) और (ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने इलैक्ट्रनिक अतंरण योजना (ई.टी.एस.) में छूट देते हुए 8.2.1999 से 8.4.1999 तक की 60 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिबधं के पारस्परिक अंतरण करने की अनुमति दी है ।

**परिधान निर्यातकों की समस्या**

2473. **श्री डी.पी. यादव** :

**श्री एस. एम. कृष्ण** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिधान निर्यातकों की सहायता करने के लिए 25,000 करोड़ रूपये की निधि संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन हैं, यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समग्र निधि कितनी है,

(ख) परिधान निर्यातकों ने किस मूलभूत समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और उनकी समस्याओं के पीछे क्या-क्या प्रमुख कारण हैं,

(ग) पिछले दो वर्षो के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है,

(घ) देश के कुल निर्यात में कपड़ा उद्योग का प्रतिशत कितना हैं,

(ड़) परिधान निर्यातकों के लिए उक्त भाग (क) में वर्णित निधि कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैं, और

(च) तकनीकी जानकारी की सहायता से दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) :** (क), (ड) और (च) सरकार ने परिधान क्षेत्र सहित वस्त्र और पटसन

उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके । इस योजना के अंतर्गत परिधान क्षेत्र सहित अभिज्ञात किए गए वस्त्र और पटसन क्षेत्र के पात्र एकक मनोनीत नोडिए अभिकरणों से ब्याज की लागू दर पर ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो अर्थक्षमता आदि के संबंध में स्वतः संतुष्ट होने पर आवेदक एकक को ऋण के पुनर्भुगतान करने आदि की शर्तो को तय करके ऋण प्रदान करेंगी । प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 1 अप्रैल,1999 से स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस योजना के अंतर्गत वस्त्र मत्रांलय द्वारा ऋणदात्री नोडिए एजेंसियों (आई.डी.बी.आई. सिडबी और एफ.सी.आई.) को 5प्रतिशत के ब्याज बिन्दु तक के ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(ख) प्रतियोगी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय गुणवता के फैब्रिकों की घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ अन्य संबद्ध मुद्दों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए कच्चे माल की सुगम उपब्धता तथा प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बाजार सवंर्धन, कोटा संबंधित मुद्दों, आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन सुझावों और उद्योग के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे निर्यात को सुकर बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठा रही हैं जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेंलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिये नियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिये कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, प्ररिधान क्षेत्र में मनाव संसाधन विकास का संवर्धन करना आदि शामिल हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षो के दौरान हमारे परिधानों के निर्यात निम्रानुसार थेः-

| **वर्ष** | **अमरीकी मिलियन, डालर में मूल्य** |
|---|---|
| 1996-97 | 4,762.10 |
| 1997-98 | 4,910.70 |

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प, पटसन और कयर सहित वस्त्र निर्यातों का अंशदान लगभग 36.5 प्रतिशत है ।

**वस्त्र उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन**

2474. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान वस्त्र उत्पादन प्रणाली में व्यापाक परिवर्तन लाने की आवश्यकता हैं,

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है,

(ग) यदि हां, तो कतिपया परिवतर्नो हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के सबंधं में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) :** (क) से (घ) वस्त्र मंत्रालय द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए 24 जुलाई, 1998 के अपने संकल्प द्वारा श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की हैं जो कि अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजाईन, विपणन कौशल तथा आसूचना प्रौद्योगिकियों डिजाईन, विपणन कौशल तथा आसूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए एक गहन नीति तथा रणनीति बनाएगी । यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी ।

**Percentage of textile production**

2475. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the State-wise percentage of textile production in the Country during the last five years;

(b) the details of its demand and supply, in comparison to its production. State-wise; and

(c) what was the position by the end of 1998?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) The State-wise percentage of cloth produced in the cotton/ man-made fibre textile mills during the last five years is given below:—

| Stales/Union Territary | 1993-94 | 1994-95 (%) | 1995-961996-97 (%) | (*) | 1997-98 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra pradesh | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Assam | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.24 |
| Delhi | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0,00 |
| Gujarat | 25.18 | 24.87 | 26.14 | 26.20 | 27.52 |
| Haryana | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.03 | 0.11 |
| Karnataka | 2.63 | 2.86 | 2.45 | 2.36 | 2.01 |